

रामसिंह बनाम फतहासिंह

C1100 165/2014

17/02/2020

पत्रावली जेवा हुई। वकील शर्मा उप. नही
वकील शर्मा को रोक-रोक कर 5:30 P.M.
तक आवाज बगवाई गई। वकील शर्मा या
उनाका कोई प्रतिनिधि उप. नही। अतः
शर्मा के शर्मा पत्र को अरुम पैखी
अद्य राजरी में खरीज किया जाकर
पत्रावली फेरवतल शुमार होकर पत्रावली
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

